पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Punjab

अध्यादेश

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय
नगर परिसर, मानसा मार्ग, बठिण्डा – 151001
वेबसाइट: www.cup.ac.in, www.cup.edu.in

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अध्यादेश

अनुक्रमणिका

अध्यादेश सं.	अध्यादेश का शीर्षक	पृष्ठ सं.
अध्याय I परिनियम	अध्ययन विद्यापीठ एवं केंद्र	2-4
VIII.	अनुसंधान बोर्ड	5
IX.	विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश	6-7
X.	विद्यापीठ बोर्ड	8-9
XI.	अध्ययन बोर्ड	10
XII.	विद्यापीठ में अध्ययन केंद्र	11-12
XIII.	केंद्र समन्वयक	13
XIV.	अध्ययन विद्यापीठ के डीन	14
XV.	डीन समिति	15
XVI.	डीन विद्यार्थी कल्याण	16-17
XVII.	शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम	18
XVIII.	परीक्षाओं का आयोजन	19
XIX.	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भुगतानयोग्य शुल्क एवं देयताएं	20
XX.	एम.फिल.-पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम	21-22
XXII.	प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर और मानद प्रोफ़ेसर की नियुक्ति के नियम और शर्तें	23
XXVI.	योजना बोर्ड	24
XXVII.	वित्त समिति	25
XX-(i)	पीएच.डी. कार्यक्रम	26-27
XX-(ii)	एलएल.एम.-पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम	28-29
XX-(iii)	एम.फार्म.-पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम	30-31
XX-(iv)	एम.फिल. कार्यक्रम	32-33
XX-(v)	एम.टेक. कार्यक्रम	34-35
XX-(vi)	एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रम	36-37

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

परिनियम
अध्ययन विद्यापीठ एवं केंद्र

वर्तमान में विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन विद्यापीठ एवं केंद्र होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय समय–समय पर यथा–अपेक्षित ऐसे अन्य विद्यापीठ एवं केंद्र स्थापित कर सकता है।

1. पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान विद्यापीठ

क) पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र
ख) बायोसेफ्टी एवं बायोसिक्योरिटी केंद्र
ग) पृथ्वी विज्ञान केंद्र
घ) मौसम विज्ञान अध्ययन केंद्र
ङ) आपदा प्रबंधन केंद्र
च) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र
छ) नैनो–टॉक्सिकोलॉजी एवं नैनो–बायोसेफ्टी केंद्र
ज) वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन केंद्र

2. समाज विज्ञान विद्यापीठ

क) अर्थशास्त्र अध्ययन केंद्र
ख) सामाजिक अध्ययन केंद्र
ग) इतिहास अध्ययन केंद्र
घ) समाज कार्य केंद्र
ङ) ग्रामीण विकास केंद्र
च) जनसंख्या एवं लैंगिक अध्ययन केंद्र

3. भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विद्यापीठ

क) भाषाशास्त्र एवं संस्कृति केंद्र
ख) तुलनात्मक साहित्य केंद्र
ग) प्राचीन एवं आधुनिक भाषा केंद्र
घ) संग्रहालय, पुरातत्व एवं संरक्षण केंद्र

4. मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ

क) जीव विज्ञान केंद्र
ख) रासायनिक एवं भेषज विज्ञान केंद्र
ग) भौतिक एवं गणित विज्ञान केंद्र
घ) कचरा प्रबंधन केंद्र
ङ) उन्नत सामग्री एवं नैनो–प्रौद्योगिकी केंद्र
च) खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र
छ) कंप्यूटेशनल विज्ञान केंद्र

5. उदीयमान जीवन विज्ञान प्रौद्योगिकी विद्यापीठ

क) स्टेम सेल्स एवं रीकोम्बीनंट प्रौद्योगिकी केंद्र
ख) आनुवंशिक रोग एवं आण्विक आयुर्विज्ञान केंद्र
ग) जैव–सूचना केंद्र

घ) स्वास्थ्य विज्ञान एवं जैव–नीतिशास्त्र केंद्र

6. सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान विद्यापीठ

क) सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी केंद्र
ख) जन संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र
ग) ग्राफ़िक आर्ट्स, एनीमेशन एवं सिनेमा अध्ययन केंद्र

7. डिजाईन एवं योजना विद्यापीठ

क) हरित वास्तुकला एवं भूदृश्य केंद्र
ख) ग्रामीण एवं शहरी निर्मित पर्यावरण केंद्र
ग) प्राचीन एवं आधुनिक वास्तुकला केंद्र
घ) औद्योगिक एवं उत्पाद डिजाईन केंद्र
ङ) आतंरिक डिजाईन केंद्र

8. वैश्विक संबंध विद्यापीठ

क) क्षेत्रीय मतभेद एवं सहयोग केंद्र
ख) दक्षिण एवं केन्द्रीय एशिया अध्ययन केंद्र
ग) वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं भूराजनीति
घ) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन केंद्र

9. प्रबंधन विद्यापीठ

क) कॉर्पोरेट एवं औद्योगिक संबंध केंद्र
ख) वित्तीय प्रशासन केंद्र
ग) खुदरा एवं विपणन केंद्र
घ) कृषि–व्यवसाय केंद्र
ङ) मानव संसाधन प्रबंधन केंद्र
च) उत्पादन प्रबंधन केंद्र
छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन केंद्र
ज) स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रबंधन केंद्र
झ) आतिथ्य एवं पर्यटन केंद्र
ञ) संगठन व्यवहार केंद्र

10. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ

क) कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र
ख) माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र
ग) जैवचिकित्सा इंजीनियरिंग केंद्र
घ) माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी केंद्र
ङ) थर्मल इमेजिंग एवं इमेज प्रोसेसिंग केंद्र
च) बैलिस्टिक्स प्रौद्योगिकी केंद्र
छ) पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी केंद्र

11. विधि अध्ययन एवं शासन विद्यापीठ

क) आयुर्विज्ञान केंद्र
ख) दंत विज्ञान केंद्र
ग) आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्साशास्त्र, यूनानी, सिद्ध होमियोपैथी) केंद्र
घ) नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी केंद्र
ङ) मानव गतिकी केंद्र
च) मानव आनुवंशिकी केंद्र

नोटः *अध्ययन विद्यापीठ एवं केंद्रों के संबंध में कुलाध्यक्ष का अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फाइल सं. 42–26/2009–डेस्क (यू) दिनांक 16 मार्च 2011 के द्वारा प्रदान किया गया।*

अध्यादेश–VIII
अनुसंधान बोर्ड
[अधिनियम अनुच्छेद 28(ञ)]

1. **गठन**

अनुसंधान बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

1.1	कुलपति	सभापति (पदेन)
1.2	अध्ययन विद्यापीठों के डीन	सदस्य (पदेन)
1.3	पांच केंद्र समन्वयक, बारी–बारी से	सदस्य (पदेन)
1.4	कुलपति द्वारा मनोनीत पांच प्रोफ़ेसर, प्रत्येक स्कूल से एक से अधिक नहीं हो	सदस्य
1.5	कुलपति द्वारा मनोनीत पांच सह/सहायक प्रोफ़ेसर, प्रत्येक स्कूल से एक से अधिक नहीं हो	सदस्य
1.6	कुलपति द्वारा नियुक्त विविध विषयों के पांच बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य
1.7	कुलसचिव	सचिव (पदेन)

2. **कार्यालय का कार्यकाल**

पदेन सदस्यों को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

3. **कार्य**

अकादमिक परिषद् के पूर्ण मार्गदर्शन के अधीन अनुसंधान बोर्ड *इसके साथ–साथ* निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगेः

3.1 विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठों/केंद्रों में अनुसंधान के प्राथमिकता क्षेत्रों, संबंधित केंद्र तथा संकाय–सदस्यों की व्यक्तिगत रुचि के लिए स्वीकार्य प्रमुख महत्त्व वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान इंगित करना;

3.2 प्रत्येक विद्यापीठ/केंद्र में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का पुनरावलोकन करना व समय–समय पर इनकी प्रगति का समीक्षात्मक परीक्षण करना; और

3.3 अकादमिक परिषद् अथवा कुलपति द्वारा प्रदत्त अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

4. **बैठकें**

अनुसंधान बोर्ड नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

5. **गणपूर्ति**

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

6. **सूचना**

अनुसंधान बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना जारी की जाएगी।

7. **कार्य–संचालन नियम**

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

अध्यादेश–IX
विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश
[अधिनियम अनुच्छेद 6(xviii), 28(1) (क)]

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा–निर्धारित आवेदन पत्र मान्य होगा।
2. विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाएगी।
3. विश्वविद्यालय के विद्यापीठों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
4. आगामी सत्रों में विश्वविद्यालय के विद्यापीठों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक वर्ष अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी।
5. विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश अखिल–भारतीय आधार पर और मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर आयोजित की गई साझा प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से दिया जाएगा, अथवा ऐसे पाठ्यक्रमों, जिनमें विद्यार्थियों की आवक कम हो, अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विद्यापीठ की गठित प्रवेश समिति के माध्यम से विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे, जिसमें अध्ययन केंद्र से कुलपति द्वारा मनोनीत 2 से 3 सदस्य होंगे और डीन इसके सभापति होंगे।
7. भिन्न–भिन्न केंद्रों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नतम अर्हता का निर्धारण अकादमिक परिषद् अथवा विद्यापीठ के डीन/केंद्र समन्वयक के परामर्श से इसकी उप–समिति द्वारा वरियतः प्रत्येक वर्ष किया जाएगा, जो कि विनियमों द्वारा प्रदत्त छूट के अधीन रहेगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी में मेरिट के क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
8. केवल वे विद्यार्थी, जिन्होंने किसी राज्य/केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की परीक्षा अथवा ऐसी किसी अन्य परीक्षा जिसे राज्य/केंद्र सरकार/विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समतुल्य होने की मान्यता दी गई हो, पास कर चुके विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए विचारा जाएगा।
9. पिछड़े राज्यों के विद्यार्थियों और विदेशी विद्यार्थियों, जो नोडल मंत्रालय के माध्यम से प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं, के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षित सीटों के मामले में, यदि आवश्यक हो निर्धारित कोटे के अतिरिक्त पर, आवेदकों को तभी प्रवेश दिया जाएगा यदि वे विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विद्यापीठों में प्रवेश हेतु निर्धारित निम्नतम अर्हता को पूरा करेंगे। विशेष मामलों में, जहां आवेदक निम्नतम अर्हता को पूरा नहीं करते या आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन जमा कराते हैं बशर्ते प्रथम सेमेस्टर के आरंभ हुए 10 दिन से अधिक नहीं हुए हों, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कुलपति के आदेशों के अधीन प्रवेश दिया जा सकता है।
10. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अकादमिक कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। बशर्ते विश्वविद्यालय भी छात्राओं अथवा शारीरिक रूप से विकलांग एवं अन्य सुविधाहीन समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अकादमिक परिषद् की सिफारिशों पर ऐसा विशेष प्रावधान कर सकती है।
11. किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः एक बार में एक से अधिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    नोटः *हालांकि, विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित कार्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित अंश–कालीन प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अनुमति भी दी जा सकती है।*
12. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी।

13. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट शुल्क देने के पश्चात् विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के रूप में एनरोलमेंट होने पर आवेदक को विद्यापीठ के कार्यक्रम में प्रवेश प्रवेश दिया जाएगा।
14. यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि आवेदक ने प्रवेश पाने के लिए असत्य या गलत तथ्य अथवा अन्य कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग किया है, तो विश्वविद्यालय से उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–X
विद्यापीठ बोर्ड
[परिनियम 15(2–4)]

प्रत्येक विद्यापीठ में एक विद्यापीठ बोर्ड होगा।

1. संगठन

प्रत्येक विद्यापीठ बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

1.1	विद्यापीठ के डीन	सभापति (पदेन)
1.2	विद्यापीठ के सभी केंद्र समन्वयक	सदस्य (पदेन)
1.3	कुलपति द्वारा मनोनीत विद्यापीठ के छह प्रोफ़ेसर, प्रत्येक अध्ययन केंद्र में से एक से अधिक नहीं हो	सदस्य
1.4	बारी–बारी से वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक केंद्र से एक सह प्रोफ़ेसर एवं एक सहायक प्रोफ़ेसर	सदस्य
1.5	संबंधित विद्यापीठ के सभापति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा प्रत्येक विद्यापीठ बोर्डों में अंतर–विषय शिक्षण में कार्यरत एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
1.6	अकादमिक परिषद् द्वारा मनोनीत व्यक्ति, पांच से अधिक नहीं, जिन्हें संबंधित विद्यापीठ के केन्द्रों के विषय का विशिष्ट ज्ञान हो और जो विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का कर्मचारी नहीं हो	सदस्य

बशर्ते कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम 15 (2) के अनुसार प्रथम विद्यापीठ बोर्ड का मनोनयन तीन वर्षों की एक अवधि के लिए कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जाएगा।

2. कार्यालय का कार्यकाल

डीन, केंद्र समन्वयकों एवं प्रोफ़ेसर को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

3. कार्य

अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगेः

3.1 विद्यापीठ में अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित अनुसंधान डिग्री को छोड़ अन्य विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक परिषद् तथा अनुसंधान डिग्री के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए अनुसंधान बोर्ड को सिफारिश करना;

3.2 ऐसे विषयों अथवा क्षेत्रों, जो एक से अधिक केंद्र की रुचि के हैं अथवा जो विद्यापीठ के किसी भी केंद्र के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं, में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के समन्वय के लिए समिति नियुक्त करना और ऐसी समितियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना;

3.3 अनुसंधान डिग्रियों को छोड़, केंद्र द्वारा संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित केन्द्रों के अध्ययन बोर्डों की सिफारिश पर परीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करना; और

3.4 उन सभी कार्यों, जो अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएं, और कार्यकारिणी परिषद्, अकादमिक परिषद् अथवा कुलपति द्वारा यथा–निर्दिष्ट सभी मामलों का निष्पादन करना।

4 बैठकें

4.1 बोर्ड की बैठकें या तो सामान्य या विशेष होगी।

4.2 एक अकादमिक वर्ष में, प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक बैठक करते हुए, दो बार सामान्य बैठकें आयोजित की जाएंगी।

4.3 विशेष बैठकें विद्यालय के डीन द्वारा स्वतः शुरुआत करते हुए अथवा कुलपति के सुझाव से आयोजित की जा सकती हैं। पूर्व में अधिसूचित मदों को छोड़ कर अन्य किसी भी मद पर विशेष बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।

5. गणपूर्ति

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

6. सूचना

बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना जारी की जाएगी।

7. कार्य–संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

अध्यादेश–XI
अध्ययन बोर्ड
[अधिनियम अनुच्छेद 23, परिनियम (16)]

1. संगठन

प्रत्येक केंद्र के अध्ययन बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

1.1	केंद्र समन्यवक	सभापति (पदेन)
1.2	केंद्र के सभी प्रोफ़ेसर	सदस्य
1.3	बारी–बारी से वरिष्ठता के आधार पर केंद्र से दो सह प्रोफ़ेसर और दो सहायक प्रोफ़ेसर	सदस्य
1.4	कुलपति द्वारा मनोनीत विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र के साझा विषयों के शिक्षण में कार्यरत एक–एक शिक्षक	सदस्य
1.5	संबंधित केंद्र की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत अन्य विद्यापीठों में संगत विषयों का शिक्षण करने वाले शिक्षक, जो दो से अधिक नहीं होंगे	सदस्य
1.6	विद्यापीठ बोर्ड द्वारा मनोनीत व्यक्ति, तीन से अधिक नहीं, जिन्हें संबंधित केन्द्रों के विषय का विशिष्ट ज्ञान हो और जो विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का कर्मचारी नहीं हो	सदस्य

2. कार्यालय का कार्यकाल

केंद्र समन्वयकों एवं प्रोफ़ेसर को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी। हालांकि यदि बारी–बारी से मनोनयन हेतु केंद्र में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं हो तो ऐसे सदस्य, जो केंद्र के भी सदस्य हैं, को पुनः मनोनीत किया जा सकता है।

3. कार्य

अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगेः

3.1 केंद्र में शिक्षण एवं अनुसंधान में सुधार के लिए विद्यापीठ बोर्ड को उपायों की सिफारिश करना; और

3.2 विद्यापीठ बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् अथवा कुलपति द्वारा प्रदत्त अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

4. गणपूर्ति

बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

5. सूचना

बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना जारी की जाएगी।

6. कार्यवृत्त

बोर्ड के सभापति बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे।

7. कार्य–संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

अध्यादेश–XII
विद्यापीठ में अध्ययन केंद्र
[परिनियम 15(5)]

1. संगठन

विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र का संघटन निम्नानुसार होगा:

1.1 केंद्र समन्यवक
1.2 केंद्र के सभी शिक्षक
1.3 केंद्र में अनुसंधान मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति
1.4 विद्यापीठ के डीन
1.5 केंद्र से जुड़े मानद प्रोफ़ेसर, एडजंक्ट प्रोफ़ेसर, प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर, यदि कोई हो,
1.6 अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति, जो केंद्र के सदस्य हों

2. कार्यालय का कार्यकाल

केंद्र समन्वयकों को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

3. सभापति

अध्ययन केंद्र के समन्वयक केंद्र की बैठकों का संयोजन एवं अध्यक्षता करेंगे।

4. कार्य

केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे:

4.1 अपने अध्ययन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देना और ऐसे प्रवेशों हेतु कार्यविधि निर्धारित करना;
4.2 केंद्र द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का नमूना और समय–सारणी अनुमोदित करना ;
4.3 शिक्षण पदों का निर्माण एवं समाप्ति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना;
4.4 केंद्र द्वारा आरंभ किए जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन करना;
4.5 अध्ययन कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना और संदर्भ पुस्तकें एवं अन्य पठन सामग्री का सुझाव देना;
4.6 अपने सदस्यों से समितियों का गठन करना और इन समितियों को इनके सामर्थ्य के अधीन विशिष्ट कार्य सौंपना;
4.7 अपने शिक्षकों में से विद्यार्थियों के सलाहकारों की नियुक्ति करना;
4.8 विश्वविद्यालय से संबद्ध अथवा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और शिक्षण विषयों के मानकों के अनुरक्षण एवं सुधार तथा सहायतार्थ योजनाएं प्रस्तावित करना; और
4.9 संबंधित विद्यापीठ द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

5. गणपूर्ति

केंद्र के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

6. सूचना

केंद्र की किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम दो दिन पहले सूचना जारी की जाएगी।

7. कार्यवृत्त

केंद्र समन्यवक बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे।

8. कार्य–संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

9. केन्द्रों का कामकाज

9.1 **कुल कार्यभार**

प्रत्येक संकाय सदस्य का अकादमिक कार्यभार यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।

9.2 **कार्य की इकाई**

व्याख्यान सामान्यतः एक घंटे की अवधि का होगा।

9.3 **अकादमिक गतिविधियां**

केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित है:

9.3.1 समुदाय से प्रत्यक्ष संबंध एवं असर वाले अंतर–विषयी अनुसंधान कार्य संचालित करना।

9.3.2 विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के रूप में सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कार्रवाई आधारित परियोजनाएं संचालित करना।

9.3.3 लघु–अवधि डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रमों का संचालन।

9.3.4 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन।

9.3.5 विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता।

9.4 **संकाय सदस्यों के लिए मानक**

सभी संकाय सदस्यों से निम्नतम कोर कार्यक्रम लेने की अपेक्षा की जाती है। कोर कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के व्याख्यान, ट्यूटोरियल/संगोष्ठी/प्रायोगिक/परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे। यदि अपेक्षित हो, संकाय सदस्यों को अन्य विद्यापीठों में कोर/सहायक पाठ्यक्रमों का शिक्षण करना होगा।

9.5 **समय–सारणी**

9.5.1 विद्यापीठ के डीन के परामर्श से प्रत्येक केंद्र सभी संकाय सदस्यों की संलग्नता दर्शाते हुए संपूर्ण अकादमिक कार्यक्रम को सम्मिलित करती एक समय–सारणी तैयार करेंगे।

9.6 **शोधार्थियों की संख्या**

यूजीसी नियमानुसार

अध्यादेश–XIII
केंद्र समन्वयक
[अधिनियम अनुच्छेद 6, परिनियम 15(5)(क)]

1. समन्वयक की नियुक्ति

केंद्र के प्रोफ़ेसरों में से कुलपति द्वारा केंद्र समन्वयक नियुक्त किया जाएगा।

2. कार्यालय का कार्यकाल

2.1 केंद्र समन्यवक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

2.2 अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर केंद्र समन्वयक पद से स्वतः हट जाएंगे

2.3 केंद्र समन्वयक अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

3. सभापति

अध्ययन केंद्र के समन्वयक केंद्र की बैठकों का संयोजन एवं अध्यक्षता करेंगे।

4. कार्य

केंद्र समन्यवक डीन के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित कार्य करेंगेः

4.1 शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य संचालित करना;

4.2 शिक्षण कार्य के आबंटन के अनुरूप समय–सारणी तैयार करना;

4.3 संकाय के माध्यम से कक्षा–कक्षों एवं प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना;

4.4 केंद्र के समुचित कामकाज के लिए केंद्र के शिक्षकों को यथा–आवश्यक ड्यूटियां सौंपना, तथा गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना; और

4.5 संबंधित विद्यापीठ के डीन, अकादमिक परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XIV
अध्ययन विद्यापीठ के डीन
[अधिनियम अनुच्छेद 13; परिनियम (5)]

1. डीन की नियुक्ति

1.1 विद्यापीठों के प्रत्येक डीन की नियुक्ति बारी–बारी से वरिष्ठता के आधार पर विद्यापीठ के प्रोफ़ेसरों में से कुलपति द्वारा की जाएगी।

बशर्ते कि किसी विद्यापीठ में केवल एक ही प्रोफ़ेसर हो या कोई प्रोफ़ेसर नहीं हो, तो फ़िलहाल बारी–बारी से वरिष्ठता के आधार पर विद्यापीठ के सह प्रोफ़ेसरों में से नियुक्ति की जाएगी।

1.2 मूल पद में अपने वेतन के अतिरिक्त डीन विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय प्राप्त करेंगे।

2. जब डीन का कार्यालय रिक्त हो अथवा जब डीन बीमारी के कारण, अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय की ड्यूटियों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो इस कार्यालय की ड्यूटियों का निष्पादन वरिष्टतम प्रोफ़ेसर अथवा सह प्रोफ़ेसर, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाएगा।

3. विद्यापीठ के डीन विद्यापीठ के अध्यक्ष होंगे, और वे विद्यापीठ में शिक्षण एवं अनुसंधान के मानकों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. डीन को अध्ययन बोर्डों एवं विद्यापीठ की समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार होगा।

5. सभापति

डीन विद्यापीठ बोर्ड की बैठकों संयोजक एवं सभापति होंगे।

6. कार्यालय का कार्यकाल

डीन के कार्यालय की अवधि तीन वर्ष होगी।

बशर्ते कि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर डीन स्वतः पद से हट जाएंगे।

7. कार्य

विद्यापीठ के डीन के निम्नलिखित कार्य होंगे:

7.1 केंद्र समन्वयकों के माध्यम से विद्यापीठ में शिक्षण एवं अनुसंधान का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना;

7.2 केंद्र समन्वयकों के माध्यम से विद्यापीठ में अंतर–विषयी शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाना;

7.3 केंद्र समन्वयकों के माध्यम से कक्षा–कक्षों में अनुशासन सुनिश्चित करना;

7.4 अकादमिक कार्य के मूल्यांकन और व्याख्यानों, टयूटोरियल, संगोष्ठियों अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना;

7.5 विश्वविद्यालय नियमानुसार विद्यापीठ के विद्यार्थियों की परीक्षाओं की व्यवस्था करना; और

7.6 कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य सभी अकादमिक कार्यों का निष्पादन करना।

अध्यादेश–XV
डीन समिति
[अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ञ)]

1. संक्षिप्त शीर्षक

कुलपति विश्वविद्यालय के सभी डीन की एक समिति गठित करेंगे, जिसे डीन समिति कहा जाएगा।

2. समिति का संगठन

विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र का संघटन निम्नानुसार होगा:

2.1	कुलपति	सभापति
2.2	सम कुलपति	सदस्य
2.3	विद्यापीठों के सभी डीन	सदस्य
2.4	कुलसचिव	सचिव

3. कार्य

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

3.1 अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए आवेदकों का चयन;

3.2 परीक्षाओं के आयोजन व इसके परिणाम से उठने वाले मामलों आदि पर विचार करना;

3.3 विद्यापीठों एवं केन्द्रों के कामकाज से संबंधित सामान्य अकादमिक मामलों पर विचार करना; और

3.4 कुलपति द्वारा यथानिर्दिष्ट ऐसे अन्यं मामलों पर विचार करना।

4. बैठक

कुलपति के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा समिति की बैठकें बुलाई जाएंगी।

5. गणपूर्ति

समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

6. कार्य–संचालन नियम

बैठकों के आयोजन के लिए इस संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XVI
डीन विद्यार्थी कल्याण
[परिनियम 36(1)(झ)]

1. डीन विद्यार्थी कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का सामान्य कल्याण देखेंगे, तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन और कक्षाओं के बाहर के विश्वविद्यालय जीवन के उन पहलुओं, जो उन्हें परिपक्व एवं जिम्मेदार मनुष्य के रूप में उनकी वृद्धि एवं विकास में योगदान देते हैं, के बीच अच्छे व लाभदायक संबंध के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

2. **नियुक्ति**
   - 2.1 डीन विद्यार्थी कल्याण की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी।
   - 2.2 डीन विद्यार्थी कल्याण अपने मूल पद में अपने वेतन एवं अन्य अनुमेय भत्तों के अतिरिक्त समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानदेय आहरित करेंगे।
   - 2.3 डीन विद्यार्थी कल्याण तीन वर्ष की एक अवधि के लिए पदधारण करेंगे, बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो।

3. जहां तक छात्रावास, खेलकूद, स्वास्थ्य केंद्र और विश्वविद्यालय सांस्कृतिक समिति का संबंध है, डीन विद्यार्थी कल्याण इनके अध्यक्ष होंगे।

4. डीन विद्यार्थी कल्याण, अन्य बातों के साथ–साथ, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था करेंगे।

5. **कार्य**

   डीन विद्यार्थी कल्याण अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:
   - 5.1 विद्यार्थियों के निकायों का संगठन एवं विकास;
   - 5.2 परामर्शन एवं विद्यार्थी मार्गदर्शन सुविधाएं;
   - 5.3 विद्यार्थी मामले समिति के साथ संपर्क;
   - 5.4 विद्यार्थियों की अतिरिक्त–पाठ्येत्तर एवं खेलकूद गतिविधियां;
   - 5.5 सह–पाठ्येत्तर एवं सामाजिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा;
   - 5.6 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता;
   - 5.7 विद्यार्थी–संकाय और विद्यार्थी–प्रशासन संबंध;
   - 5.8 करियर/नियोजन परामर्श सेवाएं;
   - 5.9 विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं;
   - 5.10 विद्यार्थियों का आवासीय जीवन;
   - 5.11 विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण एवं पर्यटन की सुविधाओं की व्यवस्था करना;
   - 5.12 देश और/अथवा विदेश में आगे के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं सुरक्षित करना;
   - 5.13 पूर्व–छात्र गतिविधियां।

6. डीन विद्यार्थी कल्याण उपरोक्त कार्यों से संबंधित कुलपति द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।
7. यदि आवश्यक हो डीन विद्यार्थी कल्याण विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों के साथ ऐसे मामलों में बातचीत कर सकते हैं, जिनमें उनकी सहायता एवं सहभागिता की आवश्यकता हो।
8. डीन विद्यार्थी कल्याण कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और वह अनुशासनात्मक समिति के एक सदस्य होंगे।

9. डीन विद्यार्थी कल्याण उन विद्यार्थियों के मामले कुलपति को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो अथवा जिनका व्यवहार एवं गतिविधियां विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम रुचि में नहीं हों।
10. डीन विद्यार्थी कल्याण रैगिंग से संबंधित सभी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाइयां करेंगे।
11. डीन विद्यार्थी कल्याण वित्तीय लेन–देन के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनमें उन्होंने विद्यार्थी गतिविधियां संचालित करने के लिए अग्रिम लिया हो।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XVII
शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम
[अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ग)]

विश्वविद्यालय में अनुदेश, अध्ययन, परीक्षा और अनुसंधान का माध्यम, भाषाओं को छोड़ कर, अंग्रेजी अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा यथानिर्धारित होगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XVIII
परीक्षाओं का आयोजन
[अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ग)]

1. विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं (प्रवेश परीक्षा को छोड़ कर) बठिण्डा अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों को आयोजित की जाएंगी।
2. विश्वविद्यालय की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने वाले उन विद्यार्थियों के लिए खुली रहेंगी, जिन्होंने इस उद्देश्य से निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण कर लिया हो।
3. किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने का आवेदन उस परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित विद्यापीठ के डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को जमा कराया जाएगा, जो कि इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर विनिर्दिष्ट तिथि के बाद नहीं हो।
4. आवेदक, जिसका आवेदन सही पाया जाए और स्वीकृत हो जाए, को एक प्रवेश पत्र दिया जाएगा जिसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. किसी परीक्षा में उपस्थित होने में असफल होने वाले आवेदक अपने द्वारा दिए गए परीक्षा शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा।

बशर्ते कि कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक, विनियमों में विनिर्दिष्ट कारणों के चलते, ऐसे आवेदक को बिना किसी शुल्क के भुगतान के अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XIX

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भुगतानयोग्य शुल्क एवं देयताएं

[अधिनियम अनुच्छेद 6(xix), 28(1)(ङ)]

1. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भुगतानयोग्य शुल्क एवं देयताएं अकादमिक परिषद की सिफारिश पर कार्यकारिणी परिषद् समय–समय पर निर्धारित करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक पर अथवा इससे पहले विद्यार्थी शुल्क एवं देयताओं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित भुगतान के तरीके से करेंगे।
3. विशेष योग्यजन और/अथवा कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों को सभी ट्यूशन शुल्कों के भुगतान की छूट दी जाएगी।
4. कुलपति के पास समिति की सिफारिश पर किसी विद्यार्थी को पूर्ण/आंशिक मुफ्त–विद्यार्थिता प्रदान करने की शक्ति होगी। मुफ्त–विद्यार्थिता वर्ष से वर्ष के आधार पर स्वीकृत कीई जाएगी।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX
एम.फिल.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम
[अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 08 सेमेस्टर (4 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 12 सेमेस्टर (6 वर्ष) है। इस अवधि में से 03 सेमेस्टर (1.5 वर्ष) एम.फिल. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अधिकतम अवधि क्रमागत पांच सेमेस्टर (2.5 वर्ष) है, अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 विभिन्न एम.फिल.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर (एम.फिल. चरण) में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5.2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.फिल.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नलिखित दो चरणों का होगाः

6.1.1 कार्यक्रम के प्रथम चरण (एम.फिल.) में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम (जहां कहीं लागू हो) तथा एक शोध–प्रबंध होगा। श्रेयांक घंटे अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।

6.1.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में विस्तृत शोध–प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।

पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु पीएच.डी. कार्यक्रमों के सभी संगत अध्यादेश एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.फिल.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने और एम.फिल. शोध–निबंध जमा करवाने के पश्चात् पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण (चौथे सेमेस्टर) हेतु अस्थायी रूप से पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी। एम.फिल. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पीएच.डी. में पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध/ शोध–प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा मास्टर ऑफ़ फिलॉसफी (एम.फिल.) और डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी (पीएच.डी.), जो भी हो, की अलग–अलग उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. कार्यक्रम छोड़ने का विकल्प

यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी निर्धारित अवधी में एम.फिल. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और वह इस कार्यक्रम को छोड़ना चाहता है, तो उसके पास कार्यक्रम को छोड़ने का विकल्प होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एम.फिल. की उपाधी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे विनियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हों।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.फिल.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफिलबनेट में उपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

अध्यादेश–XXII
प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर और मानद प्रोफ़ेसर की नियुक्ति के नियम और शर्तें
[अधिनियम अनुच्छेद 6(1)(xvi), 28(1)(ण)]

प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर

1. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर को एक प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी अनुसंधान/शिक्षण गतिविधियां जारी रखने के लिए कार्यकारिणी परिषद् द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।
2. प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर की उपाधि केवल उन्हीं विद्वानों को दी जाएगी, जिन्होंने अपने प्रकाशित अनुसंधान कार्यों और शिक्षण के द्वारा अपने विषय में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
3. प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसर को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
4. उन्हें अपनी अनुसंधान/शिक्षण गतिविधियों के निष्पादन के लिए कार्यालय स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मानद प्रोफ़ेसर

1. एक विशिष्ट विद्वान, जो सक्रिय सेवा में हो अथवा अधिवर्षिता प्राप्त हो, को विद्यापीठ के डीन अथवा कुलपति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा मानद प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्ति के लिए विचारा जा सकता है।
2. मानद प्रोफ़ेसर को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
3. मानद प्रोफ़ेसर से आशा की जाती है कि जिस केंद्र से वह जुड़े हुए हैं उस केंद्र की सामान्य अकादमिक गतिविधियों से संबंधित रहेंगे।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XXVI
योजना बोर्ड
[अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ञ)]

1. **गठन**
विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद द्वारा समय–समय पर संस्तुत एक योजना बोर्ड का गठन करेगा।

2. **संघटन**
योजना बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगाः

2.1	कुलपति	सभापति (पदेन)
2.2	सम कुलपति	सदस्य (पदेन)
2.3	विद्यापीठों के डीन	सदस्य (पदेन)
2.4	कुलसचिव	सचिव–सचिव (पदेन)
2.5	वित्त अधिकारी	सदस्य (पदेन)
2.6	कार्यकारिणी परिषद् और अकादमिक परिषद् से एक–एक सदस्य शामिल करते हुए कुलपति द्वारा नामित विविध विषयों के पांच बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य

3. **सहयोजित सदस्य**
बोर्ड के पास सदस्य(यों) को सहयोजित करने और इस बैठक में आमंत्रित करने की शक्ति होगी। इसके पास किसी विशिष्ट प्रस्तावों से निपटने के लिए उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति भी होगी।

4. **कार्यालय का कार्यकाल**
पदेन सदस्यों को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में बने रहेंगे।

5. **कार्य**
अकादमिक परिषद् के पूर्ण मार्गदर्शन के अधीन योजना बोर्ड *इसके साथ–साथ* निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

5.1 क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्टता, संगतता, सामाजिक न्याय और विकास को लक्ष्य रख कर अपने स्वयं के परिप्रेक्ष्य परिभाषित करना।

5.2 15–20 वर्षों के लिए सुपरिभाषित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सम्मिलित करती यथार्थ योजना तैयार करना

5.3 अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में आवश्यक अकादमिक सुधार करने और अनुसंधान गतिविधियों का विस्तृत परिदृश्य प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और योजनागत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ ही योजना विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करते हुए यूजीसी द्वारा अनुमोदित विविध कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय को सहायता करना।

6. **बैठकें**
बोर्ड नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

7. **गणपूर्ति**
बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

अध्यादेश–XXVII
वित्त समिति
[अधिनियम अनुच्छेद 28(ण); परिनियम 17]

1. **गठन**
विश्वविद्यालय की एक वित्त समिति होगी।

2. **संघटन**
वित्त समिति का संघटन निम्नानुसार होगाः

2.1	कुलपति	सभापति (पदेन)
2.2	सम कुलपति	सदस्य (पदेन)
2.3	कोर्ट द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
2.4	कार्यकारिणी परिषद् से कम से कम एक सदस्य शामिल करते हुए कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मनोनीत तीन सदस्य	सदस्य
2.5	कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति	सदस्य
2.6	वित्त अधिकारी	सदस्य–सचिव (पदेन)

3. **कार्यालय का कार्यकाल**
पदेन सदस्यों को छोड़ कर वित्त समिति के अन्य सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए समिति में बने रहेंगे।

4. **कार्य**
4.1 वार्षिक लेखा और वित्तीय आकलन की जांच करना।
4.2 कार्यकारिणी परिषद् के विचार और अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और वित्तीय बजट पर विचार और टिप्पणी करना।
4.3 पदों के सृजन एवं अन्य मदों, जिन्हें बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना।
4.4 विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों (उत्पादक कार्यों की स्थिति में ऋणों की प्राप्ति सहित) पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं की संस्तुति करना

5. **बैठकें**
वित्त समिति नियमित रूप से वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेंगे।

6. **गणपूर्ति**
वित्त समिति के पांच सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX–(i)
पीएच.डी. कार्यक्रम
[अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 05 सेमेस्टर (2.5 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 08 सेमेस्टर (4 वर्ष) अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 विभिन्न पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5.2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार पीएच.डी. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः

6.1.1 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में विस्तृत शोध–प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।

6.1.2 पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु पीएच.डी. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध/ शोध–प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी (पीएच.डी.) की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

पीएच.डी. कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट में उपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX–(ii)
एलएल.एम.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम
[अधिनियम की धारा 28(1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 09 सेमेस्टर (4½ वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 13 सेमेस्टर (6½ वर्ष) है। इस अवधि में से 04 सेमेस्टर (2 वर्ष) एम.एससी. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अधिकतम अवधि क्रमागत छह सेमेस्टर (3 वर्ष) है, अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 एलएल.एम. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5..2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एलएल.एम. कार्यक्रम का पाठ्यक्रम निम्नलिखित दो चरणों का होगाः

6.1.1 कार्यक्रम के प्रथम चरण (एलएल.एम.) में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम (जहां कहीं लागू हो) तथा एक शोध–प्रबंध होगा। श्रेयांक घंटे अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।

6.1.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में पाठ्यक्रम कार्य, विस्तृत शोध–प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।

6.1.3 एलएल.एम. अथवा पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एलएल.एम.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एलएल.एम.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने और एलएल.एम. शोध–निबंध जमा करवाने के पश्चात् पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण (5वें सेमेस्टर) हेतु अस्थायी रूप से पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी। एलएल.एम. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और

इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पीएच.डी. में पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक अथवा एक से अधिक सह–पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध और शोध–प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध और शोध–प्रबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा और एलएल.एम. अथवा पीएच.डी., जो भी हो, की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. कार्यक्रम छोड़ने का विकल्प

यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी निर्धारित अवधी में एलएल.एम. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और वह इस कार्यक्रम को छोड़ना चाहता है, तो उसके पास कार्यक्रम को छोड़ने का विकल्प होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एलएल.एम. की उपाधी प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे विनियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हों।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एलएल.एम.–पीएच.डी. की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध/शोध–प्रबंध, जो भी हो, की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट वेबसाइट में उपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX-(iii)
एम.फार्म.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम
[अधिनियम की धारा 28(1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 09 सेमेस्टर (4½ वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 13 सेमेस्टर (6½ वर्ष) है। इस अवधि में से 04 सेमेस्टर (2 वर्ष) एम.एससी. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए अधिकतम अवधि क्रमागत छह सेमेस्टर (3 वर्ष) है, अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 एम.फार्म.–पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5.2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.फार्म.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम का पाठ्यक्रम निम्नलिखित दो चरणों का होगाः

6.1.1 कार्यक्रम के प्रथम चरण अर्थात एम.फाम) में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम (जहां कहीं लागू हो) तथा एक शोध–प्रबंध होगा। श्रेयांक घंटे अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।

6.1.2 कार्यक्रम के द्वितीय चरण (पीएच.डी.) में पाठ्यक्रम कार्य, विस्तृत शोध–प्रबंध और खुली बहस (मौखिक परीक्षा) सम्मिलित होंगे।

6.1.3 एम.फार्म. अथवा पीएच.डी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एम.फार्म.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.फार्म.–पीएच.डी. एकीकृत कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने और एम.फार्म. शोध–निबंध जमा करवाने के पश्चात् पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण (5वें सेमेस्टर) हेतु अस्थायी रूप से पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी। एम.फार्म. कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने और इसके

लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पीएच.डी. में पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक अथवा एक से अधिक सह–पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध और शोध–प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध और शोध–प्रबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा और एम.फार्म. अथवा पीएच.डी., जो भी हो, की अलग–अलग उपाधि दी जाएगी, बशर्ते आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. कार्यक्रम छोड़ने का विकल्प

यदि इस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाला विद्यार्थी निर्धारित अवधी में एम.फार्म. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और वह इस कार्यक्रम को छोड़ना चाहता है, तो उसके पास कार्यक्रम को छोड़ने का विकल्प होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एम.फार्म. की उपाधि प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे विनियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हों।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.फार्म./पीएच.डी. की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध/शोध–प्रबंध, जो भी हो, की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट वेबसाइट में उपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX–(iv)
एम.फिल. कार्यक्रम
[अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 03 सेमेस्टर (1½ वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 05 सेमेस्टर (2½ वर्ष) अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 विभिन्न एम.फिल. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5.2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.फिल. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः

6.1.1 कार्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम (जो भी लागू हों) और विस्तृत शोध–निबंध सम्मिलित होंगे।

6.1.2 एम.फिल. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एम.फिल. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.फिल. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध/ शोध–प्रबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा मास्टर ऑफ़ फिलॉसफी (एम.फिल.) की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.फिल. कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट में उपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX–(v)
एम.टेक. कार्यक्रम
[अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 04 सेमेस्टर (2 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 06 सेमेस्टर (3 वर्ष) अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि के प्रावधान विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 विभिन्न एम.टेक. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

5.2 यूजीसी/सीएसआईआर नेट/सलेट/गेट या राज्य अथवा केंद्र स्तर की यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त अधिमान दिया जा सकता है।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.टेक. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः

6.1.1 एम.टेक. कार्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम (जो भी लागू हों) और विस्तृत शोध–निबंध सम्मिलित होंगे। श्रेयांक घंटे अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।

6.1.2 एम.टेक. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एम.टेक. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.टेक. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध/परियोजना का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संग्रहण

एम.टेक. कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और परिणामों की घोषणा के पश्चात् आवेदक शोध–निबंध की दो सॉफ्ट प्रतियां (केवल पठनयोग्य) विश्वविद्यालय को जमा कराएगा, जो एक एक सॉफ्ट प्रति आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इनफ्लिबनेट में उपलोड करने के लिए जमा कराएगा।

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB

अध्यादेश–XX–(vi)
एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रम
[अधिनियम अनुच्छेद 28 (1) (ख)]

1. पाठ्यक्रम

संबंधित विद्यापीठ/केंद्र अध्ययन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित करेंगे और अंगीकृत की जाने वाली कार्यप्रणाली विनिर्दिष्ट करेंगे।

2. अवधि

2.1 कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 04 सेमेस्टर (2 वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 06 सेमेस्टर (3 वर्ष) अथवा अकादमिक परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित की जा सकती है।

2.2 सेमेस्टर की संख्या में वृद्धि, शून्य सेमेस्टर, पुनःप्रवेश, इत्यादि के प्रावधान विनियमों के अनुसार होंगे।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

3.1 विभिन्न एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पात्रता होगी।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्यथा समर्थित (निःशक्त) वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4. प्रवेश हेतु मानदंड

आवेदक को कार्यक्रम के केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 विद्यापीठ/केंद्र की प्रवेश समिति प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देगी।

6. कार्यक्रम की रूपरेखा

6.1 मोड्यूलर उपागम के अनुसार एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः

6.1.1 एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम (जो भी लागू हों) और शोध–निबंध सम्मिलित होंगे। श्रेयांक घंटे अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार होंगे।

6.1.2 एम.ए./एम.एससी. उपाधि के पंजीकरण एवं प्राप्ति हेतु एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रमों के सभी संगत नियम एवं विनियम लागू होंगे।

7. पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन

निर्धारित विनियमों के अधीन विद्यार्थी के अकादमिक निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी को एम.ए./एम.एससी. कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते वह अकादमिक परिषद् द्वारा विनियमों के अधीन यथा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

प्रत्येक विद्यार्थी हेतु एक पर्यवेक्षक होगा, जिसे संबंधित विद्यापीठ/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अंतर–विषयी शोध के मामले में विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक या एक से अधिक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

10. शोध–निबंध का विषय

विद्यार्थी हेतु शोध–निबंध का विषय स्वयं विद्यार्थी द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. उपाधि प्रदान करना

सफ़ल आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा तथा एम.ए. या एम.एससी., जो भी हो, की उपाधि दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता हो।